बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल,
प्रथम तल, ब्लॉक–''बी'', जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना–2

E-mail.sedamandgate@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026-27

पत्रांकः–............................ दिनांक ....

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना के द्वारा समय–समय पर योजनाओं के रूपांकण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि अन्यान्य कायों के निमित्त स्थल भ्रमण की आवश्यकता, विभागीय दायित्वों के निर्वहन निमित्त सभी कार्य दिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में परिचालन के लिए प्रतिमाह की दर से नियत किराया पर (सभी करों के सहित) एक अदद वातानुकूलित वाहन (स्कॉर्पियो/समकक्ष वाहन चालक सहित एवं ईंधन रहित सफेद उजले रंग का) वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिनांक 15.05.2026 से 31.03.2027 तक निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म से निम्नरूपेण अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी	वाहन परिचालन की कार्यान्वित अवधि	वाहन की संख्या	दर रू0 में (प्रतिमाह सभी कर सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षण अभियंता बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना।	15.05.2026 से 31.03.2027 तक	एक (01)अदद	वाहन चालक सहित एवं ईंधन रहित	

(i)कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता :– अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना।

(ii) कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 29.04.2026

(iii)कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :– 15.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक सभी कार्य दिवस में ।

(iv) कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना।

(v)कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 15.05.2026 को अपराह्न 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में।

नियम एवं शर्ते निम्नवत् है:–

1. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/कोटेशनदाता द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान अनुसूचित दर अथवा पटना समाहरणालय, पटना के जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक 2207 दिनांक 22.07.2025 से प्राप्त अनुमोदित दर या इससे न्यून दर उद्धृत किया जा सकता है ।
2. भाड़े पर वाहन का उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल 2022 के पूर्व नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय तथा चालक के खान–पान एवं आवासन की व्यवस्था वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा ही किया जाएगा।

5. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा तथा इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने एवं दुर्घटना में Third Party नुकसान होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
9. वाहन उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह चालक सहित एवं ईंधन रहित देय होगा। आपूरित वाहन के भाड़े का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।
10. वाहन को उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्ट करेंगे; जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। है। एकरारनामा रू0 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। वर्त्तमान एकरारित अवधि में **सेवा संतोषजनक रहने पर ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पुनः रू.1000/–(एक हजार) के स्आम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा ।**
12. आपूरित वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से अथवा 10(दस) कि0मी0 प्रतिलीटर में से जो भी अधिक हो, मान्य होगा।
13. वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का वैध GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन के भाड़े की कटौती दो गुणा दर से किया जाएगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात् भुगतान की जाएगी।
17. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामलें में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
18. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहां रह भी सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
19. वाहन के चालक यथासंभव उजले/स्काई ब्लू रंग के पोशाक में रहेंगे जिसकी आपूर्ति संबंधित वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म को करना होगा।
20. इच्छुक वाहन मालिक /आपूर्तिकर्त्ता/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 19 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति अपना कोटेशन दिनांक 15.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 03:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 15.05.2026 के 03:30 बजे अपराह्न अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
21. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच बिहार PWD कोड के नियम 163 के तहत लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओ/फर्म का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओ/फर्म को मोबाईल और ई–मेल के माध्यम से दी जाएगी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओ/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लौटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधी की अनुपस्थिति में भी लौटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।
22. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।
23. क्रमांक 04 में भुगतान के अलावा मात्र ईंधन की आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा।
24. प्रत्येक माह संबंधित वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा 7वीं तारीख तक पूर्व माह के परिचालित विपत्र समर्पित करना होगा।

25. कोटेशनदाता सीलबंद लिफाफे खोलने के समय स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अन्यथा उनकी उपस्थिति के बिना भी सीलबंद लिफाफे खोले जायेंगे जिसके लिए किसी तरह का कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।

26. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता एक आवेदन–पत्र के रूप में अपना नाम, पिता का नाम, नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, वर्त्तमान पता, स्थायी पता, आधार कार्ड की छायाप्रति, वाट्सप नंबर, ई–मेल पता, पैन कार्ड, जी0 एस0 टी0 नंबर एवं वाहन का विवरण अंकित करेंगे । उक्त के अतिरिक्त चालक का नाम, पिता का नाम, नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, वर्त्तमान पता, स्थायी पता, आधार कार्ड की छायाप्रति, वाट्सप नंबर अंकित रहेंगे ।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 9470870266 पर संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गंगेश कुमार गुंजन)
अधीक्षण अभियंता

पत्रांकः–172

पटना, दिनांक 29/4/2026

प्रतिलिपि–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- Soft Copy (PDF and M.S Word)

29/4/26

(गंगेश कुमार गुंजन)
अधीक्षण अभियंता